न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर–पड़रौना

सत्र परीक्षण सं०– 45/2015

सरकार बनाम सोखा उर्फ हीरालाल

आरोप

मैं ए०के० उपाध्याय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर आप मुन्ना सोखा उर्फ हीरालाल को निम्नलिखत आरोप से आरोपित करता हूं।

1– यहकि दिनांक 01.04.2010 को समय करीब रात अदम तहरीर वहद ग्राम नौरंगिया टोला पकड़िहवा, थाना ने० नौ०, जिला कुशीनगर में वादी मुकदमा अपने साली अनीता को आपसे दिखाने व भूत छुड़ाने के लिए आपके पास लाया था। आप द्वारा अनीता को गांव के सीवान से लगभग एक किलोमीटर दूर ले जाकर सोखइती के नाम पर उसके साथ उसके इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया गया। इसतरह से आपने धारा–376 भा०दं०वि० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यहिक उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप द्वारा पीड़ता के साथ उसके इच्छा के विरूद्ध बलात्संग करने के बाद उसे उक्त बात को किसी से न कहने की धमकी दी गयी तथा यह भी कहा गया कि यदि वह यह बात किसी को बतायेगी तो उसे जान ससे खत्म कर दिया जायेगा। इसतरह से आपने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास दिया, जो धारा–506 भा०दं०वि० के अंर्तगत दण्डनीय है और न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतद' द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप का विचारण उक्त आरोप हेतु न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक– 04.02.2015

(ए०के० उपाध्याय)

सत्र न्यायाधीश कुशीनगर।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना किया है।

दिनांक–04.02.2015

(ए०के० उपाध्याय)

सत्र न्यायाधीश कुशीनगर।